UPRB010039062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारीः–अमित पाल सिंह, एच०जे०एस०(यू०पी०–5691)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1678/2026

1– भईयाराम पटेल आयु 35 वर्ष, पुत्र सुम्मारी पटेल उर्फ ननकू पटे निवासी ग्राम फतहपुर तालुके सहावपुर मसनी, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज।

––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

2– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1382/2026

अंशु कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र शशिभूषण निवासी ग्राम दलापुर, थाना सरायं इनायत, जनपद प्रयागराज।

–––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

3– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1684/2026

कपिल देव मिश्रा उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र गोकुल प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम कुढ़ा उन्दा अटरामपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

4– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1652/2026

प्रवीन सिंह आयु 19 वर्ष पुत्र शिव पूजन सिंह, निवासी मलका हरहरपुर थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी।

एवं

5– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1679/2026

सुनील कुमार सरोज आयु 31 वर्ष पुत्र राम सजीवन सरोज निवासी ग्राम गारवपुर थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

6– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1683/2026</u>

दिनेश कुमार उम्र 38 वर्ष, पुत्र कन्हई राम यादव निवासी ग्राम नोही, पो० ढिढुई, थाना पट्टी जनपद प्रयागराज।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

7– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1663/2026</u>

श्याम आसरे यादव उम्र 30 वर्ष, पुत्र राम आसरे यादव निवासी ग्राम चूरापुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

8– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1697/2026</u>

रामलाल प्रजापति उम्र 55 वर्ष पुत्र हीरालाल, निवासी बेरावा रोड उल्दा पो० अतरामपुर थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

9– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1698/2026</u>

बबलू यादव उर्फ श्रवण कुमार पुत्र कृष्णकान्त निवासी ग्राम गोपालपुर थाना जैठवारा जनपद प्रतापगढ़।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

<u>20–06–2026</u>

उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना, अपराध संख्या से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टकोण से उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूलतः जमानत आदेश जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1679/2026 भईयाराम पटेल प्रति उ०प्र०राज्य पर पारित किया जा रहा है। उक्त आदेश की प्रति शेष जमानत प्रार्थनापत्रो पर रखी जायेंगी।

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **भईयाराम पटेल, अंशु कुमार एवं कपिल देव मिश्रा** की ओर से अपराध संख्या **124/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **4/13** उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 एवं अभियुक्तगण **प्रवीन सिंह,सुनील कुमार सरोज,दिनेश कुमार, श्याम आसरे यादव, रामलाल प्रजापति व बबलू यादव उर्फ श्रवण कुमार** की ओर से अपराध संख्या **124/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **4/13 उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024,** थाना **कोतवाली नगर,** जिला **रायबरेली,** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाने पर जरिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायबरेली, इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी

गयी कि – दिनांक 04.06.2026 को 11:54 बजे उपनिरीक्षक अतुल मावी थाना कोतवाली नगर रायबरेली ने फर्द बरामदगी के आधार पर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 04.06.2026 को वह पवन मोबाइल में नियुक्त कां० सौरभ और कां० रोशन दीक्षित को साथ लेकर थाना क्षेत्र में प्रचलित T.G.T (प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक) के परीक्षा केन्द्रों की चेकिंग करता हुआ राजकीय इण्टर कालेज रायबरेली पहुंचा तो वहा पर मौजूद सफाईकर्मी बिमला ने बताया कि दिनांक 03.06.2026 को सायं एक व्यक्ति राजकीय इण्टर कालेज के परिसर में आया था और मुझसे इलेक्ट्रानिक डिवाइस बाथरूम में आज दिनांक 04.06.2026 की सुबह की पॉली में रखने के लिए कह रहा था मैंने मना कर दिया उस व्यक्ति को देखकर पहचान सकती हूँ। वह गेट पर ही मौजूद थे कि एक व्यक्ति हाथ में प्रवेश पत्र लेकर आया और अपनी चेकिंग कराने के लिए अन्दर गया तो परीक्षा केन्द्र में तलाशी व निरीक्षण करने वाली टीम द्वारा उस व्यक्ति को चेक किया गया तो उसके पास एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस एयरटेल का 5G प्लस मिस लगा हुआ था तथा दो अदद एयर बड्स तथा 100/– रूपये तथा एक नोट 50/–रूपये का बरामद हुआ। जिससे अपना नाम भईया राम पटेल बताया जिसे समय 9:15 बजे धारा 318(4), 61 (2) बी०एन०एस० व 4/13 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के अन्तर्गत हिरासत में लेकर फर्द तैयार की गई और इसी फर्द के आधार पर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदकगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में आवेदकगण–अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं, उन्हें गलत एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। फर्द बरामगदी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के आधार पर प्रार्थी / अभियुक्त की तलाशी परीक्षा केन्द्र पर तलाशी व निरीक्षण करने वाली टीम द्वारा चेक किया गया था, परन्तु उक्त टीम के किसी अधिकारी, कर्मचारी के हस्ताक्षर फर्द बरामदगी पर नहीं है फर्द बरामदगी में सफाई कर्मी बिमला के भी हस्ताक्षर नहीं है। प्रवेश पत्र के अनुसार परीक्षा केन्द्र का गेट प्रातः 8:45 बजे पर बन्द किये जाने का अंकन है फर्द बरामदगी के अनुसार गिरफ्तारी 9:15 बजे सुबह हुई है यदि प्रार्थी / अभियुक्त परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर प्रवेश कर चुका था तब तलाशी यदि परीक्षा संचालित टीम द्वारा की गयी थी तो मामले की भी इत्तिला सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के परीक्षा प्राधिकारी / केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की जानी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि फर्द बरामदगी में परीक्षार्थी के कब्जे से कोई पेन, पेन्सिल या परीक्षा पत्र हल करने वाला कोई लेखन सामाग्री बरामद नहीं है यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में बिना लिखने की सामाग्री के साथ परीक्षा में शामिल होने जायेगा। प्रार्थी / अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस, इयर फोन, बरामद नहीं हुई है। कथित फर्द बरामदगी मनगढन्त एवं फर्जी है जिस पर राजकीय इण्टर कालेज की परीक्षा संचालित करने वाली समिति एवं चेकिंग में लगे किसी अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। आवेदकगण–अभियुक्तगण अपने समुचित जमानत देने को तैयार हैं, विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है आवेदक–अभियुक्तगण भईया राम पटेल, विनय पटेल व सुनील सरोज प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है, शेष अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है किन्तु दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य दौरान विवेचक संकलित करते हुये उनकी संलिप्तता कथित अपराध में दिखायी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की

याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव व अभियोजन कथाने से पूर्णतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार TGT चयन परीक्षा दिनांक 04–06–2026 को आयोजित परीक्षा के सम्बन्ध में वादी उपनिरीक्षक अतुल मावी मय कां० सौरभ व रोशन दीक्षित के साथ TGT परीक्षा केन्द्रों की चेकिंग के दौरान राजकीय इण्टर कालेज रायबरेली की सफाई कर्मचारी बिमला द्वारा बताया गया कि दिनांक 03–06.2026 को सायं एक व्यक्ति राजकीय इण्टर कालेज के परिसर में आया था और उसने, उससे इलेक्ट्रानिक डिवाइस बाथरूम में रखने के लिए कहा किन्तु उसने मना कर दिया और दूसरे दिन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति हाथ में प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केन्द्र में आया और उसकी चेकिंग टीम द्वारा परीक्षा केन्द्र में उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस एयरटेल का 5G प्लस मिस लगा हुआ था तथा दो अदद एयर बड्स तथा 150/– रूपये बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति का नाम भईयाराम पटेल बताया गया , जिसकी वीडियों बनाकर व्हाटसएप पर वादी उपनिरीक्षक को दिये जाने पर मु०अपराध संख्या 124/2026, अन्तर्गत धारा– 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,व 4/13 उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 दिनांक 04–06–2026 को समय 11.54 बजे अभियुक्तगण भईयाराम पटेल, विनय पटेल एवं सुनील सरोज के विरूद्ध दर्ज हुयी और शेष अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आने पर उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। इस प्रकार राजकीय इण्टर कालेज रायबरली के परीक्षा प्रभारी व केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी भइयालाल पटेल से अवैधानिक समाग्री मिलने के बावजूद उनके द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराया जाना व उक्त के बावजूद उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया जाना विधि विरूद्ध है। उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 के अन्तर्गत कारित अपराध के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अधिकारिता सार्वजनिक परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक / परीक्षा प्रभारी को ही की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज कराये जाने के बाद प्रारम्भिक विवेचना भी पुलिस प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा की गयी जबकि उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विवेचना पुलिस उपाधीक्षक एवं सह पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। इस त्रुटि को बाद में दूर किया गया है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नही किया गया है और भइया राम पटेल या किसी अन्य अभियुक्तगण की शिनाख्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप राजकीय इण्टर कालेज रायबरेली की कथित सफाई कर्मचारी विमला से कराया जाना परिलक्षित नही होता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अभियुक्तगण की संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक–अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने के पर्याप्त आधार पाये जाते है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाते है। आवेदक–अभियुक्तगण **भईयाराम पटेल, अंशु कुमार एवं कपिल देव मिश्रा** को अपराध संख्या **124/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **4/13** उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 एवं अभियुक्तगण **प्रवीन सिंह,सुनील कुमार सरोज,दिनेश कुमार, श्याम आसरे यादव, रामलाल प्रजापति व बबलू यादव उर्फ श्रवण कुमार** को अपराध संख्या **124/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **4/13 उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024,** थाना **कोतवाली नगर,** जिला **रायबरेली,** में के मामले में उनके प्रत्येक के द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा

किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगें ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगें और यदि अभियुक्तगण के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्तगणप्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें।–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्तगणकी अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
20–06–2026

Renu Srivastava
Stenographr

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.01 10:51:11 IST
Reason: Document Owner,Order
Location: District and Sessions Court,Raebareli